14. पंजीकृत सोसाइटी के पास प्रबंध समिति आदि होंगे - (1) प्रत्येक निर्बंधित सोसाइटी का नियमावली के अनुसार एक निर्बंधित पता होगा जिस पर सारी सूचनाएँ तथा संचार प्रेषित किए जा सकेंगे एवं उक्त पता में कोई परिवर्तन होने पर इसकी लिखित सूचना निबंधक को, उस किसी वित्तपोषक बैंक को, जिसका वह शेयरधारक, हो, तथा सहकारी परिसंघ को, यदि रहे वैसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर प्रेषित करनी होगी।

(2) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का प्रबंधन इस अधिनियम एवं इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली/ उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार गठित प्रबंध समिति में निहित होगा।

(3) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाई गई सोसाइटी नियमावली/ उपविधियों के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी सोसाइटी की प्रबंध समिति में पदधारक या पदधारकों सहित शीर्ष एवं राज्य स्तरीय समिति में अधिकतम सत्तरह, केन्द्रीय सहकारी सोसाइटी में पन्द्रह तथा प्राथमिक सोसाइटी में तेरह सदस्य होगा।

परन्तु उन सोसाइटियों या सोसाइटियों के वर्ग की प्रबंध समिति में, और उन क्षेत्रों में जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेशित किया जाय कम से कम दो स्थाान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के लिए, दो स्थान महिलाओं के लिये तथा एक-एक स्थान क्रमशः पिछड़े एवं अति पिछड़े जाति के लिए आरक्षित किए जाऐंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थान अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों, महिलाओं और पिछड़े तथा अति पिछड़े जाति के सदस्यों के बीच से निर्वाचन या/ और सहयोजन द्वारा भरे जाऐंगे। यह प्रावधान प्राथमिक सोसाइटी से शीर्ष सोसाइटी तक की सभी सोसाइटियों पर लागू होगा।''

(9) किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नियमों या उपविधियों में किसी बात के अंतिर्विष्ट होने पर भी, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(10) यदि किसी कारणवश प्रबंध समिति की पदावधि समाप्ति के बाद उक्त कालाविध के भीतर निर्वाचन नहीं हो तो समिति उक्त तिथि से स्वतः अवक्रमित समक्षी जाएगी तथा रजिस्ट्रार, विधि के अनुसार नयी प्रबंध समिति के गठन हेतु छह माह से अधिक अवधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त करेगा।